भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2458

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

असूचीबद्ध कंपनियों की वित्तीय हालत

2458. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडिया इनकारपोरेटेड के असूचीबद्ध सदस्यों की वित्तीय हालत पर नजर रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) माल और सेवाकर का तिमाही-वार लाभ के इस अंश पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की मुखौटा कंपनियों से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) के माध्यम से एमसीए-21 पोर्टल में असूचीबद्ध कंपनियों सहित सभी कंपनियों के अन्य दस्तावेजों के अलावा वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिटर्नों का रिकार्ड रखता है। कंपनियों द्वारा दायर किए गए ये दस्तावेज आम जनता सहित सभी हितधारकों के सूचनार्थ पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं। यदि किसी कंपनी के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त हो, केवल तभी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूछताछ/निरीक्षण/जांच, जैसा उस मामले के लिए आवश्यक हो, का आदेश देकर उस मामले का सत्यापन किया जाता है/जांच करता है।

(ख): 01 जुलाई, 2017 को जीएसटी का कार्यान्वयन किया गया। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के लाभ और हानि खाते पर जीएसटी के प्रभाव के मूल्यांकन का विश्लेषण नहीं किया जाता है। तथापि, चूंकि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, अत: कंपनी के न्यूनतम लाभ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी ओर किसी एकीकृत कर के कारण अर्जित राशि कंपनी और उपभोक्ताओं सहित संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगी।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन "शैल कंपनी" शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 248(1)(ग) में ऐसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रावधान है जो तत्काल पूर्ववर्ती 02 (दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं चला रही या परिचालन में नहीं है और उस कंपनी ने धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उक्त अवधि में कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर 31.03.2017 तक इस श्रेणी के अंतर्गत 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.12.2017 तक 2,26,166 कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए।

*****